HARYANA GOVT GAZ. (EXTRA.) APRIL. 30, 1991 (VYSK 10, 1913 SAKA)

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग अधिसूचना दिनांक 30 अप्रैल, 1991

संख्या जे0 डी0—91/7471— पंजाब अनुसूचित सड़कें तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबन्ध अधिनियम, 1963 की धारा—4 की उप—धारा (1)(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उन्हें सक्षम बनाने सम्बन्धी अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए ,भारत के राष्ट्रपति नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट और इससे संलग्न नक्शे में दिखाये गये अनुसार जिला गुड़गांव के गांव हरचन्दपुर के उच्च विद्यायल के आस—पास के क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नियन्त्रित क्षेत्र सहर्ष घोषित करते हैं, अर्थातः—

अनुसूची

तहसील एवं जिला गुड़गांव के गांव हरचन्दपुर में उच्च विद्यालय के आस पास के नियन्त्रित क्षेत्र की सीमा अनुसूची की ड्राईंग संख्या डीo टीo पीo (जी) / 202/91, दिनांक 1 फरवरी, 1991 के साथ पढ़ा जाए:-

उत्तरः बिन्दु ''ए'' से लेकर अर्थात् जहां गांव चुहड़पुर से गांव मंधावर जाने वाला राजस्व रास्ता गांव हरचंदपुरा की उतरी राजस्व सीमा से मिलता है उसके बाद पूर्व की ओर गांव हरचंदपुर की आयत संख्या 9,10,11 की उत्तरी सीमा के साथ—साथ बिन्दु ''बी'' तक अर्थात आयत संख्या 11 के दक्षिण—पूर्वी कोने तक।

पूर्वः उसके बाद दक्षिण की ओर गांव हरचंदपुर की पूर्वी तथा दक्षिणी राजसव सीमा के साथ—साथ बिन्दु "सी" तक जहाँ वह अधिसूचना संख्या जे0 डी—90/4185, दिनांक 28 मार्च, 1990 द्वारा पूर्व घोषित नियन्त्रित क्षेत्र की सीमा से मिलती है।

दक्षिण: उसके बाद उत्तर पश्चिम की ओर अधिसूचना संख्या जे0डी—90 / 4185, दिनांक 28 मार्च, 1990 द्वारा पहले से ही घोषित

और नियन्त्रित क्षेत्र को सीमा के साथ-साथ बिन्दु "डी" तक, जहां यह गांव चुहड़पुर की पश्चिमी राजस्व सीमा से मिलती है

पश्चिमः उसके बाद उत्तर की ओर गांव चुहड़पुर से गांव मंधावर जाने वाले राजस्व रास्ते के साथ–साथ बिन्दु "ए" तक अर्थात प्रारम्भ के बिन्दु तक।

डा० तरसेम लाल,

आयुक्त एवं सचिव, हरियाण सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT Notification

The 30th April, 1991

No. JD-91/7471- In exercise of the powers conferred by sub-section (i) (B) of section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 and all other powers enabling him the President of India is pleased to declare the area around Primary School at village-Harchandpur, Distt. Gurgaon as specified in the Schedule given below and shown in the plan appended hereto to be a controlled area for the purposes of the said namely:-

SCHEDULE

Schedule of Boundary of the controlled area around Primary School at Village-Harchandpur, Dist. Gurgaon to be read with Drg. No. DTP(G) 202/91 dated 1st February, 1991.

North: Starting from point 'A' i.e. meeting point of revenue Rasta form village Chuharpur to Village mandawas with Northern revenue boundary of village. Harchandpur, thence towards East along the Northern boundary of Rect. No. 9,10,11 of Village Harchandpur upto point 'B' i.e3 South-Eastern corner of Rect. No. 11.

East: Thence towards South along the Eastern Southern revenue boundary of Village-Harchnadpur upto point 'C' where it meets the boundary of controlled area already declare-vide notification No. JD-90/4185, dated 28th march, 1990.

South and West: Thence towards North-West along the boundary of Controlled area already declare- vide Notification No. JD-90/4185 dated 28th march, 1990 up to point 'D' where it meets the Western Revenue boundary of village chuharpur thence towards North along the revenue Rasta from Village chuharpur to village Mandawar upto point 'A' i.e. point of start.

DR. TARSEM LAL

Commissioner & Secretary to Government, Haryana, Town & Country Planning Department.